संख्या 1977/सैंतीस-2-2024-5(53)/2018टीसी-5

प्रेषक,

के0 रविन्द्र नायक,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

2- समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, ग्रेड-2,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।

3- समस्त मुख्य पशु चिकित्साधिकारी,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक 17 सितम्बर, 2024

विषय- **"स्वच्छता पखवाड़ा"** अंतर्गत गो आश्रय स्थलों तथा पशुपालन विभाग की संस्थाओं में स्वच्छता एवं सफाई के संबंध में।

महोदय,

कृपया आप अवगत हैं कि दिनांक 17 सितम्बर, 2024 से 02 अक्टूबर, 2024 तक स्वच्छता पखवाड़ा के आयोजन के दौरान प्रदेश में स्वच्छता एवं सफाई हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिस हेतु गो आश्रय स्थलों, पशु बाजारों तथा पशुपालन विभाग की संस्थाओं में भी विशेष साफ-सफाई अभियान चलाकर, निम्नानुसार कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

(1) प्रदेश के समस्त अस्थायी गो आश्रय स्थलों, वृहद गो संरक्षण केन्द्रों, कान्हा गौशाला, काँजी हाउस में समन्वयकारी विभागों से समन्वय कर, पशु शेडों की पूर्णतः साफ सफाई, हाइजीन, कीटनाशक एवं लार्वासाईडल के छिड़काव पर विशेष ध्यान दिया जाए।

(2) शेड एवं फर्श की मरम्मत तथा कीचड़ व जलभराव की स्थिति हो तो तत्काल ठीक कराया जाय। गोआश्रय स्थल को जाने वाले रास्ते में भी यदि मरम्मत की आवश्यकता है तो संबन्धित विभाग से समन्वय कर कार्य करवाया जाय।

(3) गोआश्रय स्थल परिसर में तथा चरही के पास यदि कँटीली झाड़ियाँ उग आयी हैं तो उनकी जड़ से सफाई करवायी जाय तथा स्थल को समतल रखा जाय।

(4) पंजीकृत गोशालाओं के संचालकों को स्वच्छता पखवाड़ा अवधि में गोशालाओं में अभियान चलाकर पशु शेडों की सफाई एवं स्वच्छता के साथ-साथ पशुओं की नांद, नालियों की सफाई तथा कीटनाशक का छिड़काव कराया जाय।

(5) नालियों की विशेष तौर पर सफाई कराकर जल निकासी की व्यवस्था ठीक कराई जाए तथा फिनाईल व चूने का छिड़काव किया जाए।

(6) गो आश्रय स्थलों में एकत्रित गोबर की सफाई कराकर यथोचित ढंग से निस्तारण कराया जाए।

(7) संरक्षित गोवंश की स्वच्छता एवं सफाई पर विशेष ध्यान रखा जाए, जूँ एवं किलनी तथा वाह्य परजीवी के प्रकोप को रोकने हेतु इंजेक्शन अथवा वाह्य परजीवी नाशक दवाओं का प्रयोग किया जाए।

(8) कमजोर एवं अशक्त गोवंश को पृथक करके विशेष रूप से उनके भरण-पोषण एवं प्रबंधन की व्यवस्था की जाए।

(9) नगरीय क्षेत्रों में संचालित 287 कान्हा गो आश्रय स्थलों का प्रबंधन स्थानीय नगर निकायों तथा नगर विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है। इन कान्हा गो आश्रय स्थलों में भी स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाए।

(10) वर्षा ऋतु के दृष्टिगत सूकर पालकों को सूकर बाड़ों में विशेष सफाई करके चूने तथा ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करने हेतु प्रेरित किया जाए।

(11) सचल पशु चिकित्सा वाहनों (एम०वी०यू०) के माध्यम से स्वच्छता पखवाड़ा के दौरान पशुओं में टीकाकरण, सफाई हेतु विशेष प्रचार-प्रसार कर, पशुपालकों को जागरूक किया जाए।

(12) स्वच्छता अभियान अंतर्गत निराश्रित गोवंश को पकड़ कर गोआश्रय स्थलों में संरक्षण, टैगिंग तथा डाटा अपलोडिंग का कार्य भी प्राथमिकता पर करवाया जाय।

(13) स्वच्छता पखवाड़ा के दौरान गो आश्रय स्थलों में साफ-सफाई के पर्यवेक्षण हेतु नोडल अधिकारी नामित किये जाए, जिससे स्वच्छता अभियान का सफल एवं प्रभावी संचालन हो सके।

(14) जनपदों में लगने वाले पशु बाजार में आये हुए पशुपालकों/व्यापारियों को पशु रोगों, प्राथमिक एवं देशी उपचार, टीकाकरण, हरा चारा उत्पादन, अधिक दुग्ध उत्पादन तथा विभिन्न विभागीय योजनाओं जैसे नन्दिनी कृषक समृद्धि योजना, मा० मुख्यमंत्री सहभागिता योजना तथा कुक्कुट पालन के संबंध में जानकारी प्रदान की जाए तथा पशुओं के स्वास्थ्य एवं दुग्ध उत्पादन में स्वच्छता के महत्व से अवगत कराया जाए।

(15) जनपद में लगने वाले पशु मेलों, पशु बाजार/हाट, पशु पैठ में विशेष शिविरों का आयोजन किया जाय।

(16) पशुचिकित्सालयों, पशु सेवा केन्द्रों के भवन तथा परिसर को साफ-सुथरा रखा जाए तथा संस्थाओं पर भी स्वच्छता गोष्ठी का आयोजन करके जनमानस को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाए।

(17) उत्कृष्ट स्वच्छता का प्रदर्शन करने वाले गो आश्रय स्थलों, संस्थाओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित कर उत्साहवर्धन भी किया जाए।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(के० रविन्द्र नायक)
प्रमुख सचिव।

संख्या 1977(1)/सैंतीस-2-2024-तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- अपर मुख्य सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उ०प्र०शासन।
2- विशेष कार्याधिकारी, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ०प्र०शासन।
3- अपर मुख्य सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ०प्र०शासन।
4- अपर मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, उ०प्र०शासन।
5- अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ०प्र०शासन।
6- प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र०शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।